कार्रवाई वर्ष

न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, खूँटी।

M-107 आदेश पत्रांक

आरक्षी सरकार
बनाम
धनिका मुंडा

8/6/18

अभिलेख संख्याः– एम 78 /2018 धाराः–107

द0 प्र0 सं0 थाना प्रभारी तोरपा के

अप्राथमिकी संख्याः– 02/18

प्रस्तुत पुलिस प्रतिवेदन/आवेदन से सूचना मिली है कि :–

छद्मवादी पारंपरिक असंवैधानिक तरीके से पत्थलगड़ी करने से विवाद

जिससे संभावना है कि परिशांति भंग होगी यह लोक परिशांति क्षुब्ध होगी या विपक्षी कोई ऐसा असंतोषकारी कार्य करेगा जिससे परिशांति भंग हो जायगी या लोक परिशांति क्षुब्ध हो जायगी।

अतः मैं .... अनुमण्डल दण्डाधिकारी, खूँटी उक्त पुलिस प्रतिवेदन के आधार पर संतुष्ट हो कर द0 प्र0 सं0 की धारा 107 के अन्तर्गत कार्यवाही आरंभ करता हूँ। द्वितीय पक्ष के विरूद्व सूचना निर्गत करें कि वे कारण दर्शित करें कि उन्हे एक वर्ष तक परिशांति कायम रखने के लिए उससे/उनसे प्रत्येक को एक हजार रूपये का बंध–पत्र उसी राशि के दो जमानतदारों के साथ दाखिल करने हेतु आदेश क्यों नहीं दिया जाय।

दिनांक 22/6/18 को उपस्थापित करें।

08-6-2018

अनुमण्डल दण्डाधिकारी,
खूँटी।

8/6/18

~~द्वितीय पक्ष अपाकृत~~ / द्वितीय पक्ष स्वीकार

मंगेश से संबंधित प्रविष्टियाँ आयोग पोर्टल से अप्राप्त / इससे प्रतीत होता है कि द्वितीय पक्ष के विरुद्ध आपत्ति करने संबंधी कोई प्रतिकूल क्रियाकलाप न है विवादित उपचार को समाप्त किया जाता है।

10/8/18